## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:—दिव्या RAS

प्रकरण संख्या:—470 / 2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा:— 53 आर.टी.ए.

1 बलवीर सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ।

2 गुरतेज सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ।

3 सर्वजीत कौर धर्मपत्नी स्व0 श्री टेक सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ।

4 राजवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री टेक सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ।

5 नानक सिंह पुत्र स्व0 श्री टेक सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ।

—वादीगण

**बनाम्**

1. तोता सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. सुखविन्द्र कोर पुत्री श्री तोता सिंह धर्मपत्नी श्री हरपाल सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. मनजीत कौर (पुत्री स्व0 श्री टेक सिंह पुत्र श्री तोता सिंह) पत्नी सुखपाल सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
4. अलादिता पुत्र युनस अली जाति मुसलमान निवासी मियांवाली ढाणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. अलादिता पुत्र इमामदीन जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनु.
6. असकर पुत्र लंगर खां जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनु.
7. इमामदीन पुत्र युनस अली जाति मुसलमान निवासी मियांवाली ढाणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. इसा खां पुत्र खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. निसार खां पुत्र इस्माईल जाति मुसलमान निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रींगंगानगर।
10. मुराद पुत्र लंगर खां जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. मुराद अली पुत्र खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तह. व जिला हनु.
12. माया पत्नी अहमद खां जाति मुरालमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. युनस अली पुत्र खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
14. यासीन खां पुत्र खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तह. व जिला हनु.
15. रामकुमार पुत्र लालचंद जाति कुम्हार निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
16. लालचंद पुत्र दयाराम जाति कुम्हार निवासी चक 9 आरपी तहसील व जिला हनु.
17. लियाकत अली पुत्र लंगर खां जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनु.
18. विजेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्राज जाति कुम्हार निवासी 7 ई छोटी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
19. श्योकतअली पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी साधूवाली तहसील व जला श्रीगंगानगर।
20. जुरी बेवा आमीन खां जाति मुसलमान निवासी [illegible] तहसील व जिला हनुमानगढ़।
21. जमना बीबी पुत्री आमीन खां जाति मुसलमान [illegible] वाली तहसील व जिला हनु.
22. जैना पुत्री आमीन खां जाति मुसलमान [illegible] सील व जिला हनुमानगढ़।
23. अलारखा पुत्र आमीन खां जाति मुसलमान निवासी [illegible] तहसील व जिला हनु.।
24. जरिया बीबी पुत्री आमीन खां जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला [illegible]
25. फिरोजी पुत्र अमीन खां जाति मुसलमान निवासी [illegible] ली तहसील व जिला हनु.
26. वजीरा पुत्र हमीद खां जाति मुसलमान निवासी साधूवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
27. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:52:37 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थित :–

1. श्री विक्रम सिंह राठोड़ – अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मदन गोदारा प्रतिवादी सं. 1 ता 3
3. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 27

–:निर्णय:–

दिनांक 5.3.24

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व दीगर प्रतिवादीगण संख्या 4 से 26 के नाम निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि संयुक्त खाता में राजस्व अभिलेख में दर्ज है :–

चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 25/109 के पत्थर नंबर 156/374 (102) किला नंबर 2 से 9, 11/2 से 25/2, पत्थर नंबर 157/373 (84) किला नंबर 1 ता 25, पत्थर नंबर 157/374 (101) किला नंबर 1 ता 25 कुल तादादी 18.144 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2.024 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न वादपत्र है।

यह कि प्रतिवादी सख्या 1 के पुत्र, पुत्रवधू व पोत्र वादीगण है। प्रतिवादी संख्या 1 तोता सिंह के पिता स्व0 श्री गोविन्द सिंह तहसील सादुलशहर के चक 11 एसडीएस में गोविन्द सिंह पुत्र बगना सिंह उर्फ जगता सिंह के नाम दर्ज भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उक्त भूमि गोविन्द सिंह के देहान्त के पश्चात प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को विक्रय कर तहसील हनुमानगढ़ की उक्त वादपत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि खरीद की। दोनो चको के इंतकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

यह कि वादपत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 2.024 हैक्टेयर कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जिसका पूर्व में न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ के समक्ष बअनवानी बलवीर सिंह आदि बनाम तोता सिंह आदि प्रकरण सख्या 41/2020 निर्णय दिनांक 26.02.2020 में वादीगण को खातेदार घोषित किया जा चुका है। उक्त खाता विवादित होने के कारण राजस्व रिकार्ड में उक्त डिक्री का अमलदरामद नहीं हुआ है। उक्त खाता में से वादीगण के कब्जा काश्त में पत्थर नंबर 157/373 (84) किला नंबर 1 ता 5, 8 ता 10 कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि है। यह भूमि वादीगण के पिता द्वारा यासीन खां, इसा खां पुत्रगण खुशी मोहम्मद से जरिये बैयनामा दिनांक 23.04.1999 व आमीन खां पुत्र खुशी मोहम्मद से जरिये बैयनामा दिनांक 23.04.1999 को खरीद शुदा है तभी से उक्त भूमि वादीगण के पिता व अब वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा इसी अनुसार रकमराज व आबयाना अदा करते आ रहे है। पूर्व में यासीन खां, इसा खां के पिता खुशी मोहम्मद की प्री 55 की भूमि थी जिसे खातेदारी अधिकार प्राप्त कर वारिसों के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। वारिसों के नाम गलत हिस्सा कसी दर्ज होने के कारण वर्तमान में खाता अपवादित हो गया है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि वादपत्र की चरण संख्या 5 में वर्णितानुसार वादीगण को जरिये डिक्री प्राप्त हुई है इसी अनुसार वादीगण काबिज काश्त है लेकिन उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में मुताबिक घराघरू विभाजन वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने वादीगण के हक, हकूको पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा खाता विवादित होने के कारण उन्हें अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण वादीगण मुताबिक घराघरू विभाजन वादपत्र की चरण संख्या 5 में वर्णितानुसार कृषि भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर इसी अनुसार खाता तकसीम करवाने के अधिकारी व दावेदार है।

यह कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे अपनी हिस्साकसी खाता में सही दर्ज करवाकर खाता अलग कायम करवा लेवें व वादीगण के नाम जारी डिक्री के अनुसार अलग खाता कायम करवाकर खाता तकसीम करवा देवे लेकिन वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:32:37 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार [illegible] फरमाया जावें कि :–
कि घोषणा फरमाई जावें कि कि 9 आर.पी. तहसील हनुमा[illegible] जमा[illegible] सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 25/109 के पत्थर नंबर 157/373 (84) किला नं[illegible] 5, 8 ता 10 कुल 2.024 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 व 2 का 2/3 हिस्सा ब.हि.ब. अर्थात् [illegible]49 है0 व वादी सख्या 3 से 5 का 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. अर्थात् 0.675 है0 के बहिरसा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

≈ वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी [illegible] वादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता मदन गोदारा ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया। वादी सं. 4 ता 26 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक होने की डीलीवरी रिपोर्ट प्राप्त होने व बार बार

ब्याज लगाने के बावजूद हाजिर न्यायालय नहीं आने पर प्रतिवादी सं. 4 ता 26 के खिलाफ एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई प्रतिवादी सं. 27 की ओर से जवाब रटेट पेश किया गया। वादी सं. 1 ने शपथ पर आदेश 18 नियम 4 सीपीसी साक्ष्य पेश किया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का प्रदर्श 1, 2, 3ए, 4ए, 5ए, 6 ता 25 करवाया गया। वादी पक्ष द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिसमें लिखत किया है कि वादी संख्या 1 व 2 के पिता व वादी संख्या 3 के ससुर, वादी संख्या 4 व 5 के दादा के नाम से चक 9 आरपी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 25/209 में 18.144 है0 में से 2.024 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका पूर्व में सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ में बजनवानी बलवीर सिंह आदि बनाम तोता सिंह आदि प्रकरण संख्या 41/2020 निर्णय दिनांक 26.02.2020 में वादीगण के पक्ष में खातेदार घोषित किया जाकर वादपत्र डिक्री फरमाया गया था लेकिन उक्त खाता विवादित की श्रेणी में होने के कारण डिक्री का अमलदरामद नहीं हो सका। वादीगण ने अपना खाता अलग कायम करवाने के आशय से उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया है। वादीगण के कब्जा काश्त में चक 9 आर पी के खाता संख्या 25/109 की कुल तादादी 18.144 है0 में से पत्थर नंबर 157/374 (84) के किला नंबर 1 ता 5, 8 ता 10 कुल 2.024 है0 भूमि कब्जा काश्त में है। उक्त कृषि भूमि वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता, वादी संख्या 3 के ससुर व वादी संख्या 4 व 5 के दादा तोता सिंह पुत्र गोविन्द सिंह ने खुशी मोहम्मद के वारिसान यासीन खां व इस्सा खां के जरिये दो बैयनामा दिनांक 23.04.1999 को खरीद की। उक्त कृषि भूमि पूर्व में खुशी मोहम्मद के नाम से 18.144 है0 भूमि अलॉट हुई थी जिसमें से खुशी माहेम्मद ने 3.795 है0 भूमि का बेचान लंगर खां पुत्र दिलावर खां के नाम बेचान कर दिया। शेष भूमि खुशी मोहम्मद के फौत होने पर विरास्तन इंतकाल उनके पुत्र यासीन खां, आमीन खां, इस्सा खां, युनस अली के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जिसका नामान्तरण संलग्न है। लंगर खां पुत्र दिलावर खां की मृत्यु के बाद उसके वारिसान मारिया बेवा, लंगर खां असकर अली, सैदखां, मुराद अली, इलायत अली के नाम 3.795 है0 भूमि दर्ज हुई जिसका नामान्तरण संलग्न है, उसके बाद लंगर खान के वारिसान द्वारा 2.277 है0 भूमि हजारीराम पुत्र हनुमानराम को बैय कर दी जिस कारण से लंगर खान के वारिसान के नाम शेष भूमि 1.518 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में रही जो वर्तमान खाता में असकर अली पुत्र लंगर खान के नाम .612 है0, मुराद पुत्र लंगर खान 0.400 है0, लियाकत अली पुत्र लंगर खान 0.253 है0, श्योकतअली पुत्र अली मोहम्मद 0.253 है0, इस प्रकार लंगर खान के नाम से खरीद भूमि का विवरण सही है।

यह कि खुशी मोहम्मद के वारिसान द्वारा बेचान की गई कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार है

1. यासीन खां द्वारा विक्रय की गई भूमि 0.759 है0, तोता सिंह पुत्र गोविन्द सिंह, 0.379 है0 भूमि, अल्लादिता पुत्र इमामदीन।
2. आमीन खां द्वारा विक्रय की गई भूमि 0.506 है0 तोता सिंह पुत्र गोविन्द सिंह, 0.481 है0, लालचंद पुत्र दयाराम को बेचान की गई।
3. इस्सा खां द्वारा 0.759 है0 भूमि तोता सिंह पुत्र गोविन्द सिंह 0.253 है0 भूमि अलादिता पुत्र इमामदीन
4. युनस अली द्वारा बेचान की गई 0.721 है0 लालचंद पुत्र दयाराम, 0.722 है0 हंसराज पुत्र दयाराम अपनी बहिन सरीफा पुत्री खुशी मोहम्मद पुत्री जावेद अली को 0.759 है0 भूमि जरिये दानपत्र की गई। क्त बेचान करने के उपरांत खुशी मोहम्मद के अन्य वारिसान मुराद अली व मुन्साफ अली द्वारा राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए खुशी मोहम्मद के वारिसान होने के नाते उन्हें खुशी मोहम्मद की कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा चाहा। उक्त अपील में खुशी मोहम्मद [illegible] होने के कारण राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा राजीनामा के आधार [illegible] डिक्री जारी की गई। उक्त डिक्री के मुताबिक मुराद अली को 2.416 है0 भूमि [illegible] यासीन खां को 1.910 है0, आमीन खां को 0.961 है0, इस्सा खां को [illegible] 0.760 है0 इस प्रकार कुल 9.094 है0 भूमि प्राप्त हुई जबकि खुशी मोहम्मद की कुल [illegible] भूमि 18.144 है0 में से 3.795 है0 भूमि लंगर खां को बेचान करने के उपरांत 14.349 है0 शेष रही, उसके बाद खुशी मोहम्मद के वारिसान यासीन खां, आमीन खां, इस्सा खां, युनस अली ने कुल 5.339 है0 भूमि का बेचान कर दिया, उस समय खुशी मोहम्मद के वारिसान के नाम 9.010 है0 भूमि शेष रही जबकि राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ में 9.094 है0 भूमि जरिये डिक्री प्राप्त की। इस कारण से उक्त खाता में 0.084 है0 भूमि खुशी मोहम्मद के वारिसान के नाम अधिक दर्ज हो गई। इस कारण से उक्त खाता अपवादित की श्रेणी में आ गया। कालांतर में खुशी मोहम्मद के वारिसान युनस अली पुत्र खुशी मोहम्मद ने अपनी समस्त कृषि भूमि का बेचान कर दिया गया। इस कारण से वर्तमान जमाबंदी के खाना में युनस अली पुत्र खुशी मोहम्मद के नाम दर्ज आराजी 0.253 है0 भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:32:37 IST
Reason: SelfAttested

नाम कलमजन किया जाना आवश्यक है। बेचान की गई कृषि भूमि के समस्त इंतकाल संलग्न है। इस खाता में वजीरा पत्नी हमीद खां द्वारा खरीद की गई 0.506 है0 कृषि भूमि का बेचान किया जा चुका है। इस कारण से इस खाता मतें वजीरा पत्नी हमीद खां का नाम भी कलमजन किया जाना आवश्यक है। खुशी मोहम्मद के वारिसान आमीन खां, इस्सा खां, मुराद अली, यासीन खां के हिस्सा में 0.084 है0 भूमि कम की जाकर खाता को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। शेष खातेदारों के नाम दर्ज भूमि को यथावत रखा जाकर वादीगण संख्या 1, 2 प्रत्येक 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 3 ता 5 को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर तोता सिंह पुत्र गोविन्द सिंह के नाम दर्ज आराजी 2.024 है0 अलग कायम किया जाकर रकमराज किया जाना आवश्यक है। मुताबिक वाद पत्र के अपना कब्जा भूमि का अंकन किया है व रकमराज अलग कायमी का निवेदन किया है।

≈ हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पक्षकारान उभयपक्ष द्वारा पेश वाद पत्र व जवाब दावा अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मुताबिक जमाबंदी चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 25/109 कुल तादादी 18.144 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2.024 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसका विभाजन चाहा गया है। इसलिए वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## —::क्रियात्मक आदेश::—

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि:— चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 25/109 के पत्थर नंबर 156/374 (102) किला नंबर 2 से 9, 11/2 से 25/2, पत्थर नंबर 157/373 (84) किला नंबर 1 ता 25, पत्थर नंबर 157/374 (101) किला नंबर 1 ता 25 कुल तादादी 18.144 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2.024 हैक्टेयर दर्ज भूमि में वादी संख्या 1 व 2 का 2/3 हिस्सा ब.हि.ब. अर्थात् 1.349 है0 व वादी सख्या 3 से 5 का 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. अर्थात् 0.675 है0 के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाकर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावें। खातेदार युनस अली, खातेदार वजीरा ने अपने हिस्से की जमीन का बेचान कर दिया है इसलिए इनका नाम कलमजन किया जाता है। खुशी मोहम्मद के वारिसान आमिन खां, ईसा खां, मुराद अली व यासिन खां का ब.हि.ब 0.084 है. हिस्सा गलत दर्ज होने के कारण कम करने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...5.3.24..... को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः— प्रश्नगत रकबा रहन हो तो, रहन मुक्त होने पर निर्णय की पालना की जावें।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:32:37 IST
Reason: SelfAttested